[2022] 15 एस. सी. आर 1117

मेसर्स रावी रंजन डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड

वी.

आदित्य कुमार चटर्जी

(सिविल अपील सं। 2394-2395 2022 का)

24 मार्च, 2022

[इंदिरा बनर्जी और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

उच्च न्यायालय-अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने एक विकास में प्रवेश किया मुजफ्फरपुर में स्थित संपत्ति के विकास के लिए समझौता

बिहार-समझौते में मध्यस्थता खंड शामिल है जो प्रदान करता है

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के स्थान के रूप में कोलकाता-जैसे ही विवाद पैदा हुआ,

प्रतिवादी ने उक्त विकास समझौते को समाप्त कर दिया -

प्रत्यर्थी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मध्यस्थता याचिका दायर की मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत-अपीलार्थी

कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई -

उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता याचिका को मंजूरी दी और एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को नियुक्त किया।

एकल मध्यस्थ के रूप में न्यायाधीश-उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकला-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः विकास

समझौते को स्वीकृत रूप से निष्पादित और इसके बाहर पंजीकृत किया गया था

कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र-मुकदमा बिहार में स्थित अचल संपत्ति से संबंधित है-कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा नहीं

कलकत्ता उच्च के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ था

न्यायालय अधिनियम की धारा 11 (6) के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए।

ए एंड सी अधिनियम की धारा 2 (1) (ई)-धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन

मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए अधिनियम

भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो।

अधिकार क्षेत्र-पक्ष, सहमति से, अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकते हैं।

एक ऐसे न्यायालय पर जिसमें स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र की कमी थी-पक्ष कभी नहीं

इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए

विवादों का, और न ही पक्ष कोलकाता की सीट के रूप में सहमत हुए मध्यस्थता-मध्यस्थता समझौते के पक्षकार केवल इस बात पर सहमत थे कि

मध्यस्थता न्यायाधिकरण की बैठकें कोलकाता-कोलकाता में होंगी।

केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण-कलकत्ता की बैठकों का स्थान था उच्च न्यायालय के पास स्वाभाविक रूप से आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत प्रत्यर्थी।

[2022] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 वर्तमान मामले में, किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था, जिस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय अभ्यास करता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह मुकदमा कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर में स्थित अचल संपत्ति से संबंधित है और

कलकत्ता उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता। अपीलार्थी जो प्रतिवादी की स्थिति में एक मुकदमा होगा, न तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहता है और न ही कोई व्यवसाय करता है। [पैरा 25] [1129-ई-जी]

1.2 बेशक, धारा 11 (6) के तहत, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन अनिवार्य रूप से

उच्च न्यायालय, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या उच्च न्यायालय के पास मध्यस्थता के विषय के संबंध में एक मुकदमे का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है और इस बात की परवाह किए बिना कि क्या उच्च न्यायालय के पास मुकदमों पर विचार करने और निर्णय लेने का मूल अधिकार क्षेत्र है। इस प्रकार, ए एंड सी अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) में न्यायालय की परिभाषा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मामले में लागू नहीं होगी। मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत। साथ ही, मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, चाहे उसका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) को ए एंड सी अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसका अर्थ एक उच्च न्यायालय होना चाहिए जो इसका प्रयोग करता है।

न्यायालय पर अधीक्षण/पर्यवेक्षी अधिकारिता

ए एंड सी अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) का अर्थ। ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) का यह इरादा कभी नहीं हो सकता था कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

इस बात की परवाह किए बिना कि क्या प्रत्यर्थी उस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहता था या व्यवसाय करता था, और चाहे कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ हो, एक प्रतिद्वंद्वी को नुकसान में डालने और प्रतिद्वंद्वी पर चढ़ाई करने के लिए। [पैरा 26-28] [1129-G-H; 1130-A-D]

1.3 . धारा 42 का संभवतः कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है

धारा 11 (6) के तहत आवेदन, जिसे अनिवार्य रूप से मेसर्स रावी रंजन डेवलपर्स पी. वी. टी. बनाया जाना है।

लिमिटेड वी। आदित्य कुमार चटर्जी

उच्च न्यायालय के समक्ष, जब तक कि पहले का आवेदन भी उच्च न्यायालय में नहीं किया गया था। तत्काल मामले में, धारा 9 के तहत पहले का आवेदन मुजफ्फरपुर के जिला न्यायालय में किया गया था, न कि पटना के उच्च न्यायालय में। इसके तहत एक आवेदन

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6), मुजफ्फरपुर के जिला न्यायालय में नहीं बनाई जा सकती थी। इसलिए, धारा 42 आकर्षित नहीं होती है। [पैरा 32] [1131-सी-डी]

1.4 यह कभी भी कानून का एक पूर्ण सामान्य प्रस्ताव नहीं हो सकता है, कि जहां एक मध्यस्थता समझौता कहता है कि मध्यस्थता फरीदाबाद/दिल्ली है और ए एंड सी अधिनियम के भाग I के तहत कार्यवाही भी वैध रूप से फरीदाबाद में शुरू की जाती है, फरीदाबाद में न्यायालय, ए एंड सी अधिनियम की धारा 42 के बावजूद, अपना अधिकार क्षेत्र खो देगा, सिर्फ इसलिए कि मध्यस्थता बाद में दिल्ली में आयोजित की जाती है और पुरस्कार दिल्ली में दिया जाता है। इस न्यायालय ने विकास समझौते पर विचार किया है। विपक्ष में शपथ पत्र में प्रत्यर्थी का यह तर्क कि मध्यस्थता समझौते के पक्षकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए थे, सही नहीं है। मध्यस्थता समझौते के पक्षकार केवल इस बात पर सहमत हुए कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण की बैठकें कोलकाता में होंगी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण की बैठकें आयोजित करने का स्थान कोलकाता था। [पारस 42 और 43] [1133-ई-एच]

2. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि, जब दो या दो से अधिक न्यायालयों को मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होता है

समझौता, पक्षकार, समझौते द्वारा, अन्य सभी न्यायालयों को छोड़कर सभी विवादों को किसी एक न्यायालय को भेजने का निर्णय ले सकते हैं, जिसे अन्यथा निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र हो सकता था

विवाद। हालाँकि, पक्षकार सहमति से उस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकते हैं जिसके पास स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र का अभाव है। इस मामले में, पक्षकार, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपने विवादों को कोलकाता में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में भेजने के लिए सहमत नहीं थे। पक्षकारों का यह इरादा नहीं था कि कोलकाता मध्यस्थता का केंद्र होना चाहिए। कोलकाता का उद्देश्य केवल इसके लिए स्थान होना था

मध्यस्थता बैठकें। तदनुसार, प्रत्यर्थी ने स्वयं मुज़फ़्फ़रपुर में जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, न कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम सुरक्षा के लिए कोलकाता में एक अदालत का। प्रतिवादी ने स्वयं मुज़फ़्फ़रपुर में जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है, यह तर्क देने से वंचित है कि

पक्षकार अन्य न्यायालयों को छोड़कर कलकत्ता उच्च न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करने पर सहमत हुए थे। समझौते के किसी भी पक्ष ने कोलकाता को मध्यस्थता के स्थान के रूप में नामित करने के लिए मध्यस्थता खंड का अर्थ नहीं लगाया। हम यह मानने के लिए विवश हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत प्रतिवादी के आवेदन पर विचार करने के लिए स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र का अभाव है। उच्च न्यायालय को मध्यस्थ की नियुक्ति से पहले ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति का फैसला करना चाहिए था। [पारस 47 और 48] [1135-बी-एफ]

भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम। कैसर एल्यूमीनियम (2012)

9 एससीसी 552: [2012] 12 एस. सी. आर. 327-अनुसरण किया गया।

किरण सिंह और ओआरएस। वी. चमन पासवान और

अन्वेषण और उत्पादन (भारत) इंक. (2019) 13 एस. सी. सी. 472 [2018] 13 एस. सी. आर. 379; मंकस्तु इम्पेक्स प्राइवेट

सीमित वी। एयरविजुअल लिमिटेड (2020) 5 एससीसी 399: [2020] 4 एस. सी. आर. 565 पर निर्भर

इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड v. डेटाविंड इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। (2017) 7 एस. सी. सी. 678

: [2017] 4 एस. सी. आर. 744; हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी

सीमित वी। एनएचपीसी लिमिटेड और ए. एन. आर. (2020) 4 एस. सी. सी 310; बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एनएचपीसी लिमिटेड (2020) 4 एससीसी 234

: [2019] 17 एस. सी. आर. 742-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1955] एससीआर 117

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

[2017] 4 एससीआर 744

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

(2020) 4 एस. सी. सी 310

पै

रा 35

संदर्भित किया गया है

[2019] 17 एससीआर 742

पै

रा 35

संदर्भित किया गया है

[2012] 12 एससीआर 327

पीछा किया।

पै

रा 36

[2018] 13 एससीआर 379

उस पर भरोसा करें

पै

रा 44

[2020] 4 एससीआर 565

उस पर भरोसा करें

पैरा 45 एम/एस रावी रंजन डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड वी। आदित्य कुमार चटर्जी

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.2394

2395 2022 तक।

2021 के ए. पी. No.46 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित 13.08.2021 के निर्णय और आदेश/आर. वी. डब्ल्यू. में दिनांकित 04.10.2021 के आदेश से।

2021 का ए. पी. में 2021 का <आई. डी. 1.2021 का ए. पी. में <आई. डी. 2. और अरब में 2021 का आर. वी. डब्ल्यू. में जी. ए. नंबर 1. 2021 का पी. No.46।

अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डॉ. मौर्य विजय चंद्र, अभिषेक ऋताभ शुक्ला, नवीन सोनी, प्रेम प्रकाश, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

संजय घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राजीव रंजन मिश्रा, पार्थो गांगुली, सौरभ, नमन जैन, नरेंद्र कुमार वर्मा, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को पारित एक आदेश के खिलाफ हैं, जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'ए एंड सी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 11 (6) के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर मध्यस्थता याचिका को अनुमति दी गई है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित, 13 अगस्त 2021 के उक्त आदेश की समीक्षा के लिए अपीलार्थी द्वारा किए गए एक आवेदन को अस्वीकार करते हुए, R.V.W.O. No.14/2021 है।

3. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने स्थित संपत्ति के विकास के लिए 15 जून 2015 को एक विकास समझौता किया

बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर में कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर, लगभग 12 कैथों और 11 धुरों का, जिनका वर्णन उक्त विकास समझौते में अधिक पूरी तरह से किया गया है। उक्त विकास समझौता निष्पादित किया गया और बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर में पंजीकृत, एक मध्यस्थता खंड है, जो सुविधा के लिए नीचे दिया गया हैः

" 37. कि किसी भी विवाद या अंतर के मामले में

इस विकास से उत्पन्न होने वाले और उससे संबंधित पक्ष

इस समझौते का निपटारा दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त मध्यस्थों को विवादों या मतभेदों के संदर्भ में किया जाएगा और ऐसा मध्यस्थता भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत

किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण कोलकाता में होगा। "15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. उक्त के संबंध में मतभेद और विवाद उत्पन्न हुए

विकास समझौता, पार्टियों के बीच विभिन्न कार्यवाही को जन्म देता है। 24 अप्रैल 2019 को प्रतिवादी ने उक्त विकास समझौते को समाप्त कर दिया। अपीलार्थी ने उक्त विकास समझौते की समाप्ति को स्वीकार नहीं किया है। 5. 15 मई 2019 को, अपीलार्थी ने पटना में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (संक्षेप में 'रेरा' के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसे रेरा केस No.56/377/2019 के रूप में दर्ज किया गया था। इसके तुरंत बाद, 17 अगस्त 2019 को, प्रतिवादी ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 के तहत जिला न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर की अदालत में एक याचिका दायर की।

विचाराधीन संपत्ति के संबंध में अंतरिम सुरक्षा की मांग करना।

6. 1 अक्टूबर 2019 को, प्रतिवादी ने मुज़फ़्फ़रपुर नगर निगम के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि इमारत

अपीलार्थी द्वारा निर्मित भवन स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन था और निर्माण को रोकने की मांग कर रहा था। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने 22 जनवरी 2020 को शिकायत को खारिज कर दिया। 7. प्रत्यर्थी ने बिहार भवन नगर न्यायाधिकरण में अपील की। कहा जा रहा है कि याचिका लंबित है। इसके तुरंत बाद, प्रतिवादी ने विकास समझौते के तहत मध्यस्थता खंड का आह्वान करते हुए अपीलार्थी को नोटिस भेजा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर बिहार के पटना में अपीलार्थी के पंजीकृत कार्यालय को नोटिस भेजा गया था। नवंबर, 2020 में, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 उप-धारा (6) के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय में ए. पी. No.2020 के रूप में एक मध्यस्थता याचिका दायर की। हालांकि, तकनीकी कारणों से आवेदन वापस ले लिया गया था।

8. 15 जनवरी 2021 को, प्रत्यर्थी ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 उप-धारा (6) के तहत दूसरी मध्यस्थता याचिका दायर की। No.46/2021 कलकत्ता उच्च न्यायालय में। अपीलार्थी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए विपक्ष में एक हलफनामा दायर किया।

9. विपक्ष में हलफनामे में, अपीलार्थी ने तर्क दिया:

" क) विवादों के संदर्भ के लिए पक्षों के बीच कोई वैध या प्रवर्तनीय या मौजूदा मध्यस्थता खंड नहीं है।

उक्त खंड के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए।

ख)

VI रंजन डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड वी। आदित्य उमर चटर्जी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

इस माननीय न्यायालय के पास मुकदमा चलाने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है

तत्काल आवेदन पर विचार करें और निर्धारित करें क्योंकि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच समझौते को निष्पादित किया गया है और बिहार जिले में जिला पंजीयक, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में पंजीकृत किया गया है।

समझौते का विषय क्षेत्राधिकार से बाहर मुजफ्फरपुर नगर निगम, बिहार की सीमा के भीतर स्थित भूमि के सभी टुकड़ों और टुकड़ों का विकास और निर्माण करना है।

इस माननीय न्यायालय से।

वर्तमान आवेदन दाखिल करने के लिए कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा इसके अधिकार क्षेत्र में सामने नहीं आया है।

माननीय न्यायालय और उन कारणों से जिनके कारण इस माननीय न्यायालय के पास वर्तमान आवेदन पर विचार करने और निर्धारित करने का प्रयास करने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है।

विचाराधीन संपत्ति की निर्माण योजना को मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई है।

किसी संपत्ति के निर्माण के लिए निगम

मुजफ्फरपुर। वर्तमान में शामिल विवाद

संदर्भ मुज़फ़्फ़रपुर में एक अचल संपत्ति के अचल निर्माण से संबंधित है। इस माननीय न्यायालय के पास मनोरंजन करने का प्रयास करने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है या

वर्तमान आवेदन को निर्धारित करें क्योंकि यह माननीय न्यायालय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 2 (i) (e) के अर्थ के भीतर एक न्यायालय नहीं है। यह माननीय न्यायालय सही दायरे में और उसके अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नामित उच्च न्यायालय नहीं है और

1996 के अधिनियम की धारा 11 की परिधि।

.....

वर्तमान आवेदन का विषय रेरा मामले No.56/377/2019 के तहत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, मुज़फ़्फ़रपुर के समक्ष विचाराधीन है और यह निर्णय और कारणों से लंबित है।

जिसके बारे में इस माननीय न्यायालय को वर्तमान आवेदन पर विचार करने या निर्धारित करने का प्रयास करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता समझौते में केवल बैठक का स्थान उल्लिखित है जिसमें कहा गया है कि मध्यस्थता [2022] 15 एस. सी. आर.

कोलकाता में आयोजित किया जाएगा कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है

इस माननीय न्यायालय पर तत्काल आवेदन पर विचार करने और निर्धारित करने का प्रयास करने के लिए। कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ है और जिन कारणों से इस माननीय न्यायालय को वर्तमान पर विचार करने और निर्धारित करने का प्रयास करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

आवेदन "।

10. प्रत्यर्थी ने जवाब में विधिवत एक शपथ पत्र दाखिल किया। जवाब में हलफनामे में, प्रत्यर्थी ने केवल इस बात से इनकार किया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने

ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन पर विचार करने या निर्णय लेने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है। यह स्वीकार किया जाता है कि विकास समझौता बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित संपत्ति के संबंध में है, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि विकास समझौते को कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर बिहार राज्य में निष्पादित और पंजीकृत किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय सहमत स्थान पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है मध्यस्थता के केंद्र के रूप में, और इस प्रकार मध्यस्थता कार्यवाही का मनोरंजन करने की अधिकारिता होगी। जवाब में शपथ पत्र का पैराग्राफ 5-ई सुविधा के लिए नीचे दिया गया है:

" 5 - ई. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि समझौता इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर निष्पादित किया गया था और विचाराधीन संपत्ति भी इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित है, लेकिन उक्त विकास समझौते में निहित मध्यस्थता समझौते के रूप में जहां पक्ष इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए हैं, जिससे इसे कोलकाता में तय किया गया है, तो इस माननीय न्यायालय के पास तत्काल मुकदमे का प्रयास करने और उस पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां एक समझौते में एक सीट नामित की जाती है, अकेले सीट की अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र होता है जिसके लिए सभी आवेदनों की आवश्यकता होती है

मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न होने वाले समझौते को मध्यस्थता के स्थान पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में दायर करने की आवश्यकता है, और उस न्यायालय के पास भी मध्यस्थता याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। इस देश के माननीय न्यायालयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस क्षण एक सीट समझौते द्वारा निर्दिष्ट की जाती है पक्षकारों के बीच, यह एक विशेष अधिकारिता खंड के समान है, जो तब पक्षकारों के बीच समझौते से उत्पन्न मध्यस्थता कार्यवाही को विनियमित करने के उद्देश्यों के लिए विशेष अधिकारिता के साथ 'सीट' पर अदालतों को निहित करेगा।

मेसर्स रावी रंजन डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड वी। आदित्य कुमार चटर्जी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

जब भी किसी मध्यस्थता खंड में मध्यस्थता कार्यवाही के 'स्थल' के रूप में मध्यस्थता के स्थान का पदनाम होता है, तो 'मध्यस्थता कार्यवाही' अभिव्यक्ति यह स्पष्ट कर देगी कि 'स्थान' वास्तव में मध्यस्थता कार्यवाही का 'स्थान' है, क्योंकि उपरोक्त अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है।

केवल एक या अधिक व्यक्तिगत या विशेष सुनवाई। कानून के उपरोक्त विकास को देखते हुए, मध्यस्थता के स्थान और मध्यस्थता के स्थान का क्या अर्थ है, इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्यस्थता खंड को समग्र तरीके से पढ़ा जाना चाहिए ताकि न्यायालय की अधिकारिता निर्धारित की जा सके। इसके अलावा, यदि प्रिस्क्रिप्शन की प्रकृति के आधार पर स्थान का उल्लेख है और उसमें कुछ और जोड़ा गया है, तो न्यायालय इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि इसमें निहित बहिष्करण है।

11. 13 अगस्त 2021 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता याचिका को मंजूरी दी और कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया। एकमात्र मध्यस्थ के रूप में न्यायालय। अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि भले ही

अपीलार्थी ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन का विरोध किया था, कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आपत्ति का फैसला नहीं किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। उच्च न्यायालय का आदेश इस प्रकार हैः

" 1. वर्तमान आवेदन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) (ए) के तहत विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दायर किया गया है।

दलों के बीच। 2.
सुनवाई के समय विद्वानों द्वारा इस पर विवाद नहीं किया गया था

विकास समझौते में मध्यस्थता खंड।
3. दोनों पक्षों के विद्वान वकील नियुक्त करने के लिए सहमत हुए हैं

दोनों पक्षों द्वारा उठाए जाने वाले विवादों को हल करने के लिए। तदनुसार, समझौता करने के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पक्षों के बीच विवाद।

4. वर्तमान आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

12. श्री सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से पेश वकील ने निर्देश [2022] 15 एस. सी. आर. के बिना सहमति दी।

अपीलार्थी। जो भी हो, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं किया।

उच्च न्यायालय में दायर विपक्ष में अपीलार्थी द्वारा उठाए गए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को मंजूरी दें।

13. 30 सितंबर 2021 को या उसके आसपास, अपीलार्थी ने एक याचिका दायर की।

13 अगस्त 2021 के अंतिम आदेश की समीक्षा के लिए प्रशस्ति पत्र। में

पुनरीक्षण के लिए अपीलार्थी ने निम्नलिखित आधार लिए -

" इसके लिए 13 अगस्त, 2021 के आदेश से पता चलता है

अभिलेखों के सामने स्पष्ट त्रुटि और ऐसी गलती माननीय से संबंधित याचिकाकर्ता की आपत्तियों के रूप में

मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं रखने वाला न्यायालय और आपत्तियाँ

शामिल विवादों की गैर-मध्यस्थता के संबंध में, नहीं है

इस माननीय न्यायालय द्वारा विचार किया गया। II. इसके लिए 13 अगस्त, 2021 का आदेश त्रुटि का खुलासा करता है

अभिलेखों के सामने स्पष्ट, गलती के रूप में माननीय न्यायालय के पास याचिकाकर्ता का मनोरंजन करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था

चूंकि पटना में माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क करना पड़ा

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत।

XXX

XXX

XXX

VII. इसके लिए 13 अगस्त, 2021 के आदेश की कार्यवाही वकील की रियायत पर जो याचिकाकर्ताओं के विपरीत है

निर्देश अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि का खुलासा करते हैं।

VIII. इसके लिए कि याचिकाकर्ता ने वकील को निर्देश नहीं दिया है

स्वीकार करें और इसके विपरीत वकील को विरोध करने का निर्देश दिया है याचिका और इसलिए सहमति, यदि कोई हो, तो वकील के बिना है

अधिकार क्षेत्र और शून्य और 13 अगस्त, 2021 का आदेश

उसी के आधार पर कार्यवाही, स्पष्ट त्रुटि का खुलासा करता है

रिकॉर्ड के चेहरे पर।

IX. इसके लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई है

सहमति का, चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि का खुलासा करता है अभिलेख "।

14. 4 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया

आवेदन देखें, जो इस न्यायालय में भी आक्षेपित है। द हाई

टी ने माना कि विद्वान वकील द्वारा दी गई सहमति की अनुमति नहीं दी जा सकती है

वापस ले लिया।

मेसर्स रावी रंजन डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड वी। आदित्य कुमार चटर्जी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

15. इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह है कि क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय

न्यायालय के पास प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने और एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र था। प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री संजय घोष ने बलपूर्वक तर्क दिया कि मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रारंभिक आदेश अदालत द्वारा सहमति से पारित किया गया था। अपीलार्थी मध्यस्थता कार्यवाही में उपस्थित हुआ। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को विवादों के संदर्भ को स्वीकार कर लिया।

16. अपीलार्थी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार नहीं किया

अदालत। उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के बाद, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति लेते हुए एक समीक्षा आवेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया। उसी दिन यानी 4 अक्टूबर 2021 को मध्यस्थ ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें अपीलार्थी को संपत्ति में किसी भी तीसरे पक्ष का हित बनाने से रोक दिया गया था।

17. विद्वान मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही के कार्यवृत्त

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाने से यह संकेत नहीं मिलता है कि अपीलार्थी विद्वत मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के लिए स्वेच्छा से प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी केवल उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ की फीस पर सहमत हुआ। यह न्यायालय व्यावहारिक वास्तविकताओं से अनजान नहीं हो सकता है, जैसे कि उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मध्यस्थ की फीस का विरोध करने के लिए वकील को शर्मिंदा करना।

18. श्री सिन्हा ने सही तर्क दिया कि अधिकार क्षेत्र के बिना एक आदेश हो सकता है

वकील द्वारा दी गई किसी भी सहमति की परवाह किए बिना किसी भी स्तर पर किसी भी समय पूछताछ की जाएगी, जो अपीलार्थी का दावा है कि अपीलार्थी के निर्देशों के बिना थी।

19. किरण सिंह और ओआरएस में। वी. चमन पासवान और Ors.[1], a

इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि यह एक मौलिक सिद्धांत है, जो अच्छी तरह से स्थापित है, कि अधिकार क्षेत्र के बिना किसी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री एक अमान्यता है, और इसकी अयोग्यता को जब भी और जहां भी इसे लागू करने या उस पर भरोसा करने की मांग की जाती है, तब भी निष्पादन के चरण में और यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी स्थापित किया जा सकता है। अधिकारिता का एक दोष, चाहे वह आर्थिक हो या क्षेत्रीय, या चाहे वह कार्रवाई की विषय वस्तु के संबंध में हो, किसी भी पारित करने के लिए न्यायालय के अधिकार पर हमला करता है।

आदेश,

और इस तरह के दोष को पक्षों की सहमति से भी ठीक नहीं किया जा सकता है।

1 (1955) एससीआर 117:

20. इस मामले में सवाल यह है कि क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास विवादित आदेश पारित करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था। इसका जवाब है -

प्रश्न नकारात्मक होना चाहिए क्योंकि विकास समझौते को कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर निष्पादित और पंजीकृत किया गया था, समझौता कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर मुज़फ़्फ़रपुर में स्थित संपत्ति के विकास से संबंधित है। अपीलार्थी का पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर पटना में है। अपीलार्थी का कोई प्रतिष्ठान नहीं है और वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कोई व्यवसाय नहीं करता है। जैसा कि प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया, कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आया था।

21. श्री सिन्हा ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) में न्यायालय की परिभाषा का उल्लेख किया, जो सुविधा के लिए नीचे दी गई है:

" 2. परिभाषाएँ। - (1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

((a) से (d)

(ई) "न्यायालय" का अर्थ है-(i) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा किसी मध्यस्थता के मामले में, किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रमुख दीवानी न्यायालय, और इसमें शामिल हैं -

उच्च न्यायालय अपने सामान्य मूल दीवानी का प्रयोग करते हुए

अधिकारिता, प्रश्नों को तय करने का अधिकार क्षेत्र होना

मध्यस्थता के विषय का गठन करना-यदि वही वाद का विषय रहा है, लेकिन इसमें ऐसे प्रमुख सिविल न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय शामिल नहीं है,

या छोटे कारणों का कोई न्यायालय; (ii) अंतर्राष्ट्रीय मामलों में

वाणिज्यिक मध्यस्थता, उच्च न्यायालय अपने अभ्यास में

मध्यस्थता यदि वही किसी वाद का विषय रहा हो और अन्य मामलों में, उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के फरमानों से अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र रखने वाला उच्च न्यायालय न्यायालय;

22. जैसा कि श्री सिन्हा ने तर्क दिया है, 'न्यायालय' शब्द को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा किसी अन्य मध्यस्थता के मामले में मैसर्स रावी रंजन डेवलपर्स पी. वी. टी. के लिए परिभाषित किया गया है।

लिमिटेड वी। आदित्य कुमार चटर्जी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

इसका अर्थ है किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रमुख सिविल न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने सामान्य मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए शामिल होगा,

मध्यस्थता की विषय वस्तु बनाने वाले प्रश्नों का निर्णय करने की अधिकारिता रखने वाले, यदि वही वाद का विषय था, लेकिन इसमें ऐसे प्रमुख दीवानी न्यायालय या छोटे कारणों के किसी भी न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई दीवानी न्यायालय शामिल नहीं है।

व्यापार में। जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं, वहाँ उस न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में कोई भी प्रतिवादी हो। स्वेच्छा से रहता है या व्यवसाय करता है। ऐसे न्यायालय में भी मुकदमा दायर किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई का कारण या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है।

25. वर्तमान मामले में, किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था, जिस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, क्योंकि जैसा कि कहा गया है

26. बेशक, धारा 11 (6) के तहत, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय में भेजा जाना चाहिए। इस बात की परवाह किए बिना कि क्या उच्च न्यायालय के पास मध्यस्थता के विषय के संबंध में एक मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र है और इस बात की परवाह किए बिना कि क्या उच्च न्यायालय के पास विचार करने के लिए मूल अधिकार क्षेत्र है और

सूट तय करें। इस प्रकार, [2022] 15 एस. सी. आर. की धारा 2 (1) (ई) में न्यायालय की परिभाषा।

ए एंड सी अधिनियम एक मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मामले में लागू नहीं होगा।

27. साथ ही, मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन नहीं किया जा सकता है।

ए एंड सी अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) का अर्थ। 28. ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) का यह इरादा कभी नहीं हो सकता था कि किसी भी उच्च न्यायालय में मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

भारत में न्यायालय, इस बात की परवाह किए बिना कि प्रत्यर्थी उस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहता है या व्यवसाय करता है, और इस बात की परवाह किए बिना कि कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है, एक प्रतिद्वंद्वी को नुकसान में डालने और प्रतिद्वंद्वी पर चढ़ाई करने के लिए।

29. श्री सिन्हा ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 42 पर भी भरोसा किया

नीचे दिया गया है:

" 42. क्षेत्राधिकार। कुछ भी शामिल होने के बावजूद

इस भाग में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, जहां मध्यस्थता समझौते के संबंध में इस भाग के तहत कोई आवेदन न्यायालय में किया गया है, कि

मध्यस्थता पर अकेले न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा।

से उत्पन्न होने वाली कार्यवाहियां और बाद के सभी आवेदन

उस समझौते और मध्यस्थता कार्यवाही में किया जाएगा

उस न्यायालय में और किसी अन्य न्यायालय में नहीं।

30. श्री सिन्हा ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 42 पर जोर देते हुए तर्क दिया कि अंतरिम संरक्षण के लिए पहले का आवेदन यहां स्थानांतरित किया गया है।

मुज़फ़्फ़रपुर के जिला न्यायालय में, प्रत्यर्थी कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू नहीं कर सकता था।

31. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है, जैसा कि श्री सिन्हा ने तर्क दिया है कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 42 अनिवार्य है। यह धारा स्पष्ट रूप से विभिन्न न्यायालयों में पक्षकारों को कार्यवाही में घसीटे जाने से रोकने के लिए अधिनियमित की गई है, जब एक से अधिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होता है।

जहाँ सम्मान के साथ मेसर्स रावी रंजन डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड वी। आदित्य कुमार चटर्जी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

एक न्यायालय में अधिनियम बनाया गया है कि मध्यस्थता कार्यवाही पर अकेले न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा और उस समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदनों और मध्यस्थता कार्यवाही को करना होगा। उस न्यायालय में और किसी अन्य न्यायालय में, जब तक कि, निश्चित रूप से, उस न्यायालय में जिसमें पहला आवेदन स्थापित किया गया था, उस आवेदन को स्वीकार करने के लिए स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र का अभाव था। यह धारा जो एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है, कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून की परवाह किए बिना बाध्यकारी है।

बल, और ए एंड सी अधिनियम के भाग I में किसी भी अन्य प्रावधान की परवाह किए बिना।

32. हालाँकि, धारा 42 का संभवतः कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है

धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन, जिसे अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष किया जाना है, जब तक कि पहले का आवेदन भी उच्च न्यायालय में नहीं किया गया था। तत्काल मामले में, धारा 9 के तहत पहले का आवेदन मुजफ्फरपुर के जिला न्यायालय में किया गया था, न कि पटना के उच्च न्यायालय में। मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मुजफ्फरपुर के जिला न्यायालय में आवेदन नहीं किया जा सकता था। इसलिए, धारा 42 आकर्षित नहीं होती है।

33. उच्च न्यायालय में दायर जवाब में हलफनामे में, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि मध्यस्थता समझौते के पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की थी

कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करें। पक्षों द्वारा किए गए मध्यस्थता समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का स्थान और/या स्थान कोलकाता होगा।

34. प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री संजय घोष ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने

मध्यस्थता के केंद्र के रूप में ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र कोलकाता था।

35. उनके इस तर्क के समर्थन में कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने

प्रत्यर्थी द्वारा दायर धारा 11 (6) के तहत आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र, श्री घोष ने इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम का हवाला दिया। डेटाविंड इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड और Ors.2,

हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम। एनएचपीसी लिमिटेड और Anr.³ और बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी। एन. एच. पी. सी. लिमिटेड और तर्क दिया कि एक बार मध्यस्थता का एक स्थान नामित होने के बाद, सीट को नामित करने वाला खंड 2 (2017) 7 एस. सी. सी. 678

3 (2020) 4 एस. सी. सी 310

4 (2020) 4 एससीसी 234 [2022] 15 एस. सी. आर.

मध्यस्थता एक अनन्य अधिकारिता खंड बन जाता है, जिसके परिणामस्वरूप, केवल उन न्यायालयों को ही अन्य सभी न्यायालयों को हटाने की अधिकारिता होगी जिनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर, पीठ स्थित है।

36. इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम

जहाँ मध्यस्थता का स्थान भारत में नहीं है। संविधान पीठ ने प्रभावी रूप से और सार रूप में मध्यस्थता के स्थान और स्थान के बीच अंतर किया, जैसा कि धारा 20 में विचार किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया कि केवल तभी जब पक्षकारों के अधिकार का अर्थ मध्यस्थता के स्थान/स्थान के लिए प्रावधान करने के लिए किया गया था।

भारत में मध्यस्थता, 1996 अधिनियम का भाग-I लागू होगा। यदि सीट/स्थान भारत के बाहर होता, तो भाग-I लागू नहीं होता, भले ही कुछ बैठकों का स्थान भारत में रहा हो, या कार्रवाई का कारण भारत में उत्पन्न हुआ हो।

5 5 (2012) 9 एस. सी. सी. 552 एम/एस. रावी रंजन डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड वी। आदित्य कुमार चटर्जी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

2 (2) ए एंड सी अधिनियम और ए एंड सी अधिनियम के भाग I की एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए प्रयोज्यता, जहां मध्यस्थता का स्थान था भारत में नहीं।

40. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में, यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार मध्यस्थता का स्थान निर्दिष्ट हो जाने के बाद, यह एक अनन्य अधिकार क्षेत्र खंड के रूप में कार्य करता है और केवल वे न्यायालय जिनके भीतर

अधिकार क्षेत्र में सीट स्थित थी, अपवर्जन का अधिकार क्षेत्र होगा

अन्य सभी न्यायालयों से। उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस न्यायालय ने पाया कि पुरस्कार को चुनौती देने के उद्देश्य से अकेले नई दिल्ली के न्यायालयों के पास अधिकार क्षेत्र होगा।

41. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक निर्णय के मुद्दे के लिए एक मिसाल है

कानून जो उठाया और तय किया जाता है। निर्णय का अर्थ उन तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में लगाया जाना चाहिए जिनमें निर्णय दिया गया है। निर्णय में शब्द, वाक्यांश और वाक्य, नहीं हो सकते हैं संदर्भ से बाहर पढ़ें। न ही किसी निर्णय को क़ानून के तरीके से पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए। यह केवल वही कानून है जिसकी व्याख्या पहले की गई थी।

निर्णय, जो एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती का गठन करता है, और वह सब कुछ नहीं जो न्यायाधीश कहते हैं।

42. यह कभी भी कानून का एक पूर्ण सामान्य प्रस्ताव नहीं हो सकता है, कि जहां एक मध्यस्थता समझौता कहता है कि मध्यस्थता का स्थान है

फरीदाबाद/दिल्ली और ए एंड सी अधिनियम के भाग I के तहत कार्यवाही भी फरीदाबाद में वैध रूप से शुरू की जाती है, फरीदाबाद में अदालत,

ए एंड सी अधिनियम की धारा 42 के बावजूद, अपना अधिकार क्षेत्र खो देता है, बस क्योंकि मध्यस्थता बाद में दिल्ली में आयोजित की जाती है और पुरस्कार दिल्ली में दिया जाता है।

43. इस न्यायालय ने विकास समझौते पर विचार किया है। द.

विपक्ष में शपथ पत्र में प्रत्यर्थी का तर्क, कि

मध्यस्थता समझौते के पक्षकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए थे, यह सही नहीं है। मध्यस्थता समझौते के पक्षकार केवल इस बात पर सहमत हुए कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण की बैठकें कोलकाता में होंगी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण की बैठकें आयोजित करने का स्थान कोलकाता था।

44. भारत संघ में v. हार्डी अन्वेषण और उत्पादन

क) इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अमेरिकी स्थानों पर बैठकें आयोजन स्थल से संबंधित हैं। इसे सीट बिट्रेशन या मध्यस्थता के स्थान के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, जिसका एक अलग अर्थ है।

45. मनकस्तु इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। एयरविजुअल लिमिटेड "ई न्यायाधीश पीठ जिसमें हम में से एक (माननीय। ए. एस. बोपन्ना, जे) एक बेर थे, आयोजितः

" 19. मध्यस्थता का स्थान किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मध्यस्थता के स्थान का महत्व यह है कि यह

मध्यस्थता का निर्णय लेते समय लागू कानून निर्धारित करता है

कार्यवाही और मध्यस्थता प्रक्रिया के साथ-साथ न्यायिक

मध्यस्थता पुरस्कार की समीक्षा। स्थिति केवल इसके बारे में नहीं है

जहाँ कोई संस्थान स्थित है या जहाँ सुनवाई होगी

आयोजित किया गया। लेकिन यह सब इस बारे में है कि किस अदालत के पास मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी शक्ति होगी। एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम एनरकॉन जीएमबीएच [एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड v. एनरकॉन जीएमबीएच, (2014) 5 एससीसी 1: (2014) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 59], उच्चतम न्यायालय

मान लिया किः (एससीसी पीपी। 43 & 46 , पैरा 97 और 107)

" [टी] सीट का स्थान उन न्यायालयों को निर्धारित करेगा जिनके पास मध्यस्थता की देखरेख करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

कार्यवाही। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि इस सीट पर आम तौर पर उस देश के मध्यस्थता/मध्यस्थता का विकल्प होता है।

कानून "।

20. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि "मध्यस्थता का स्थान" और "मध्यस्थता का स्थान" का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह भी स्थापित किया गया है कि केवल अभिव्यक्ति "मध्यस्थता का स्थान" पक्षों के इरादे को निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता है कि वे

उस स्थान को मध्यस्थता के "स्थान" के रूप में अभिप्रेत किया है। "सीट" के बारे में पक्षों का इरादा समझौते के अन्य खंडों और समझौते के संचालन से निर्धारित किया जाना चाहिए।

पार्टियाँ "।

46. इस मामले में, विकास समझौते में प्रावधान किया गया था कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का जी. एस. कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पक्ष कभी भी अधिकार क्षेत्र के अधीन होने के लिए सहमत नहीं हुए

9) 13 एस. सी. सी. 472

0) 5 एस. सी. सी. 399 एम/एस. रावी रंजन डेवलपर्स पी. वी. टी. लिमिटेड वी। आदित्य कुमार चटर्जी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

कोलकाता को मध्यस्थता के केंद्र के रूप में। कोलकाता केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण की बैठकों का स्थान था। 47. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब दो या दो से अधिक न्यायालयों को मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होता है, तो पक्षकार

समझौते द्वारा, अन्य सभी न्यायालयों को छोड़कर सभी विवादों को किसी एक न्यायालय को भेजने का निर्णय ले सकते हैं, जिन्हें अन्यथा विवादों का निर्णय करने की अधिकारिता हो सकती थी। हालाँकि, पक्षकार सहमति से उस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकते हैं जिसके पास स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र का अभाव है, जैसा कि श्री सिन्हा ने तर्क दिया था।

48. इस मामले में, पक्षकार, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपने विवादों को कोलकाता में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में भेजने के लिए सहमत नहीं थे। पक्षकारों का यह इरादा नहीं था कि कोलकाता मध्यस्थता का केंद्र होना चाहिए। कोलकाता का उद्देश्य केवल मध्यस्थता बैठकों का स्थान होना था।

तदनुसार, प्रत्यर्थी ने स्वयं मुज़फ़्फ़रपुर में जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, न कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम सुरक्षा के लिए कोलकाता में एक अदालत का। उत्तरदाता ने स्वयं मुज़फ़्फ़रपुर में जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया है, जिससे अलग किया गया है

यह तर्क देते हुए कि पक्षकार अन्य न्यायालयों को बाहर करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करने पर सहमत हुए थे। समझौते के किसी भी पक्ष ने मध्यस्थता खंड को नामित करने के लिए नहीं माना

मध्यस्थता के केंद्र के रूप में कोलकाता। हम यह मानने के लिए विवश हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत प्रतिवादी के आवेदन पर विचार करने के लिए स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र का अभाव है। उच्च न्यायालय को मध्यस्थ की नियुक्ति से पहले ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति का फैसला करना चाहिए था।

49. अतः इन अपीलों की अनुमति दी जाती है और मध्यस्थ की नियुक्ति और समीक्षा आवेदन को खारिज करने के विवादित आदेश हैं:

एक तरफ रख दें। विद्वान मध्यस्थ की नियुक्ति को इस आधार पर अलग रखा जाता है कि उसकी नियुक्ति का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है और अपीलार्थी द्वारा उसकी नियुक्ति पर उठाई गई आपत्ति को देखते हुए। यह पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विद्वान मध्यस्थ या जिस तरीके से उन्होंने अब तक कार्यवाही का संचालन किया है, उस पर किसी भी आक्षेप के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

50. चूंकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण की बैठकें कोलकाता में होनी हैं, इसलिए यह न्यायालय न्यायमूर्ति भास्कर [2022] 15 एस. सी. आर. को नियुक्त करना उचित समझता है।

मेरी अदालत की रिपोर्ट

गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोनों पक्षों के बीच विवादों का फैसला करेंगे। पार्टियां

न्यायमूर्ति भास्कर भट्टाचार्य की नियुक्ति।

विचाराधीन संपत्ति के संबंध में यथास्थिति आज से 15 दिनों की अवधि होगी ताकि ए एंड सी की धारा 17 के तहत संबंधित विद्वान मध्यस्थ को सक्षम बनाया जा सके।

कानून के अनुसार।

अपीलों की अनुमति दी गई।

हाय, एलसीआरए)